फर्द अहकाम

न्यायालय उपजिलाधीश लालसोट, जिला दौसा

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लालसोट, जिला दौसा केशन्ता बनाम काल्या उर्फ हेमराज आदि किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0 नं0 93 सन् 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	तफ्सील
8-9-22	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थीनी श्री के.के. सैनी द्वारा प्रार्थीनी केशन्ता की ओर से वादपत्र मय प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र टी. आई. मे कथन किया गया कि प्रार्थीनी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्यगण है जिनका मौरूसी आला गणेश मीना रहा है। जिनका सजरा खानदान भी प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया तथा आगे कथन किया गया कि प्रार्थीनी की पैतृक भूमि आराजी ख0 नं0 13 रकबा 0.1000 हैक्टेयर ख0 नं0 43 रकबा 0.0600 हैक्टेयर ख0 नं0 44 रकबा 0.0300 हैक्टैयर ख0 नं0 52 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर तथा आराजी ख0 नं0 160/45 रकबा 1.300 हैक्टेयर ख0 नं0 162/81 रकबा 2.1000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टेयर तथा ख0 नं0 165/88 रकबा 4.0500 हैक्टेयर वाकै ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है उक्त भूमि मे अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के हिस्से बाबत विवाद है। खाता सं0 18 व 11 मे दर्ज भूमि प्रार्थीनी की पैतृक भूमि है जो अप्रार्थी सं0 1 को विरासत से प्राप्त हुई है तथा खाता सं0 48 मे दर्ज भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई भूमि है जिनमें प्रार्थीनी का आरंभतः हक हिस्सा अधिकार निहित व समाहित है। तथा दिनांक 06.11.2021 को वाद कारण उत्पन्न होने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया कि विवादित भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे न करावे तथा विवादित भूमि का रहन बय हस्तान्तरण नही करे न करावे एवं रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई जिस पर बावजूद तामिल अनु0 होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई तत्पश्चात पुनः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 की ओर से एकतरफा कार्यवाही निरस्त कर सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे बाद सुनवायी स्वीकार किया गया जिसके पश्चात भी अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 द्वारा हाजिर अदालत अनुपस्थित रहने पर पुनः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर बहस प्रार्थीनी पक्ष सुनी गई दौराने बहस प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया गया एवं अपनी मौखिक बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये– 1. RBJ 2003 page 245 (Raj. High Court) RamKumar Vs State of Raj. & Other 2. RLW 2013 (4) page 2994 (Raj. High Court) Barkat Khan & Anr Vs Shimla @ Seema	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

3. RBJ 2015 page 544 (R.B.DB) Jaipur Vikas Pradhikaran Vs Bhori Devi
4. CJ (Civ.) 2018 (1) page 145 (S.C) Danamma & Anr Vs Amar & ors
5. RBJ 1999 page 406 (Raj. H.C) Gendiya & ors Vs The State of Raj.
6. Rajasthan Govt. का सलकूलर

मैनें अधिवक्ता प्रार्थीनी को सुना गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्यन एंव मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को तय करने हेतु तीन मुख्य बिन्दुओ प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को देखना है।

प्रथम दृष्टया केस – प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपने आप मे अप्रार्थी सं0 1 को अपनी जायन्दा पुत्री होने का कथन किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व प्रार्थीनी एक ही परिवार के सदस्यगण होना वर्णित किया गया है जिसके संबंध में सजरा खानदान अंकित किया गया है तथा उभय पक्ष गणेश मीना की संताने होना वर्णित किया गया है तथा दौराने बहस प्रार्थीनी का कथन है कि विवादित भूमियां प्रार्थीनी की पैतृक एवं पारिवारिक भूमियां है जिसमें प्रार्थीनी का कानूनन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार हक हिस्सा अधिकार निहित व समाहित है तथा पैतृक व पारिवारिक सम्पति मे प्रार्थीनी अपने हिस्से की भूमि का संरक्षण करवाकर अपना हक हिस्सा अधिकार लेना चाहती है तथा प्रार्थीनी को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 उसका हक हिस्सा अधिकार नही देना चाहते न हि उसे मानते है न हि सम्मान देते है बल्कि अपनी पैतृक व पारिवारिक सम्पति से महरूम करना चाहते है जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नही है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 द्वारा न्यायालय मे आकर भी न वो जवाब पेश किया न हि कोई उज्रात पेश किया गया जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है इस संबंध में ओदश 8 नियम 5 सीपीसी मे प्रावधान वर्णित है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य पर गौर किया जावे तो विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2018 में उक्त भूमि का खातेदार गणेश मीना दर्ज है जो प्रार्थीनी का बाबा है तथा नामान्तरकरण संख्या 5 जिसमे इन्द्राजात से भंलि भांति प्रमाणित है कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 1 को विरासत से प्राप्त हुई है इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2039 से 2047 से भी उक्त भूमियां पैतृक भूमि प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा खाता सं0 43 मे दर्ज भूमि भी संयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति प्रथम दृष्टया साबित है इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के विवादित भूमियां प्रार्थीनी की पैतृक व पारिवारिक भूमियां होना भंली भांति प्रमाणित है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया जिनकी रोशनी एवं मार्गदर्शन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीनी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ पर गौर किया जावे तो प्रथम दृष्टया केस के संबंध में वर्णित विवेचनानुसार एवं विश्लेषण अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में बखूबी साबित है एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी केशन्ता पुत्री काल्या की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि आराजी भूमि 13 रकबा 0.1000 हैक्टेयर ख0 नं0 43 रकबा 0.0600 हैक्टेयर ख0 नं0 44 रकबा 0.0300 हैक्टैयर ख0 नं0 52 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर ग्राम बड का बाडा तहसील लालसोट जिला दौसा मे अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से 1/2 तथा आराजी ख0 नं0 160/45 रकबा 1.300 हैक्टेयर ख0 नं0 162/81 रकबा 2.1000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.4000 हैक्टेयर ग्राम बड का बाडा तहसील लालसोट जिला दौसा तथा ख0 नं0 165/88 रकबा 4.0500 हैक्टेयर वाकै ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा अप्रार्थी सं0 6 के हिस्से 1/2 में प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि प्रार्थीनी के कब्जेकाश्त मे दखलन्दाजी अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 नही करे न करावे तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 उक्त भूमि का किसी दीगर व्यक्ति या संस्था के हक में रहन बय हस्तान्तरण नही करे न करावे मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे स्वयं अपने सेवको साथियों सहित पाबन्द रहे तथा अप्रार्थी सं0 7 उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं0 8 उक्त विवादित भूमि बाबत् पेश होने वाले किसी भी प्रलेखो का पंजीयन नही करे स्वयं अपने अधीनस्थ कर्मचारियो सहित मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द रहे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

(मोहर सिंह मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)